भा.कृ.अ.प.–राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र
I.C.A.R.- NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL
पोस्ट बैग–07, जोड़बीड़, बीकानेर 334001(राज.)भारत
Post Bag-07, Jorbeer, Bikaner 334001 (Raj.) India
TAN Based - GST No. 08JDHN01654C1DI
PAN Based - GST No. 08AAEAN8221D1ZS

स्पीड पोस्ट

File No. NRCC/ADM/P/1(09)P/Guar Fasal/2022-23/ 492-98 Date: 04.07.2022

निमित्त,

मैसर्स कृष्णा देवी पत्नी किशन कुमार,
ई–6–बी, सुरजपुरा, कुआं नं. 03,
तिलकनगर, बीकानेर – 334 001

विषयः केन्द्र के फार्म एरिया में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में बारानी ग्वार फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने का कार्य/सर्विस बाबत्।

सन्दर्भः 1. आपके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 22.06.2022
2. केन्द्र द्वारा जारी पत्र सं. NRCC/ADM/P/1(09)P/Guar Fasal/2022-23/479 दिनांक 28.06.2022

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में केन्द्र की भूमि पर 20 हेक्टेयर क्षेत्र में बारानी ग्वार फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने के कार्य/सर्विस हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा में अंकित विवरण (ग्वार फसल में से 11 प्रतिशत दाना तथा शत् प्रतिशत चारा केन्द्र का) अनुसार अनुबंध को निदेशक महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अतः सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मय मुहर सहित पत्र के साथ अनुबंध दिनांक 02.07.2022 की प्रति इस आशय के साथ संलग्न किया जा रहा है कि अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप उक्त कार्य/सर्विस प्रारंभ करें। उक्त कार्य केन्द्र की कृषि वानिकी इकाई के प्रभारी के निर्देशानुसार करें।

सःधन्यवाद्

भवदीय,

सलंग्नः अनुबंध की फोटोप्रति।

(अखिल ठुकराल)
प्रशासनिक अधिकारी
व प्रभारी क्रय इकाई

प्रति :–

1. प्रभारी कृषि वानिकी इकाई अनुबन्ध (प्रति संलग्न) अनुसार कार्य पूर्ण कराकर अनुपालना रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करें ।
2. प्रभारी भण्डार, राउअनुके, बीकानेर – अनुबंध प्रति संलग्न।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, राउअनुके, बीकानेर – अनुबंध प्रति संलग्न।
4. लेखा एवं लेखा परीक्षा इकाई, राउअनुके, बीकानेर – अनुबंध प्रति संलग्न।
5. प्रभारी एकेएमयू/प्रसार – केन्द्र की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुबंध की प्रति संलग्न।
6. सतर्कता अधिकारी, राउअनुके, बीकानेर

प्रशासनिक अधिकारी/Administrative Officer
भाकृअप–राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र
व प्रभारी क्रय इकाई
ICAR-National Research Centre on Camel
बीकानेर/Bikaner

Phone : +91-151-2230183, 2230858 (O), Fax: +91-151-2970153,
e-mail: nrccamel@nic.in, website : www.nrccamel.icar.gov.in

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

U 574502

CENTRAL NOTARY GOVT. OF India

4 JUL 2022

बीकानेर – 334001 (राजस्थान)

हिस्सा पद्धति आधारित खेती हेतु अनुबन्ध

यह अनुबंध आज दिवस ..... माह ..... वर्ष ..... को मैसर्स कृष्णा देवी पत्नी किशन कुमार, ई–6–बी, सुरजपुरा, कुआं नं. 03, तिलकनगर, बीकानेर (इसे एजेन्सी पढ़ा जाए) एवं निदेशक, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बीकानेर (इसे केन्द्र पढ़ा जाए) के मध्य हुआ।

जबकि केन्द्र द्वारा केन्द्र की 20 हेक्टेयर भूमि पर हिस्सा पद्धति पर बारानी ग्वार फसल कार्य/सर्विस हेतु एजेन्सी से निम्न शर्तों पर अनुबन्ध का निर्णय लिया है।

अब केन्द्र तथा मैसर्स कृष्णा देवी पत्नी किशन कुमार, ई–6–बी, सुरजपुरा, कुआं नं. 03, तिलकनगर, बीकानेर के मध्य निम्नानुसार सहमति/एग्रीमेन्ट हुआः–

1. बारानी ग्वार फसल के लिए फर्म/एजेन्सी को केन्द्र द्वारा केवल भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, भूमि में अलीबा केन्द्र से उष्ट्र खाद उपलब्धता के आधार पर निशुल्क दी जाएगी।

2. बारानी ग्वार फसल के लिए ट्रैक्टर से जमीन तैयार करना, बीज, बिजाई कार्य, फर्टीलाईजर, फसल को बीमारियों से बचाने के लिए दवाई (पेस्टीसाईड) फसलों से खरपतवार निकालना, पकने पर फसल की कटाई करना, इकट्ठा करना, थ्रेसर से चारा दाना अलग करना, आवारा जानवरों व जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा करना, थ्रेसिंग के उपरांत केन्द्र के हिस्से का चारा दाना गोदाम तक पहुंचाना, उक्त सभी कार्य फर्म को अपने स्तर पर स्वयं के साधनों से ही पूर्ण करने होंगे।

3. बिन्दू सं. 2 के सभी कार्य उपरांत फसल का दाना–चारा केन्द्र निदेशक द्वारा गठित समिति के समक्ष तुलवाकर केन्द्र के हिस्से का दाना–चारा भण्डार तक एजेन्सी को अपने स्तर पर स्वयं के साधनों से पहुंचाना होगा।

4. बारानी ग्वार फसल के क्षेत्रफल में कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्रफल अनुसंधान कार्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी।

5. ठेका अनुबंध माह जुलाई – 2022 से आगामी 03 वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध 01 से 02 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है।

6. ठेका आवंटित होने के बाद वर्षा होने पर ठेकोदार को सूचना मोबाईल पर दी जाएगी तथा ठेकेदार को अविलम्ब श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। इस कार्य में/श्रमिक उपलब्ध कराने में देरी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त कर ली जाएगी।

7. एजेन्सी की मशीन अथवा उनके व्यक्तियों द्वारा केन्द्र की किसी भी चल–अचल सम्पति को कोई क्षति होने पर, अविलम्ब क्षतिपूर्ति, एजेन्सी को करनी होगी अथवा उनकी धरोहर राशि में से काटी जाएगी।

8. समस्त कार्य ठेके की अवधि में संतोषजनक होना आवश्यक होगा तथा इस बाबत् केन्द्र के सक्षम अधिकारी व प्रभारी कृषि वानिकी के दिशा–निर्देश मानने होंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर एजेन्सी की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा जो कि एजेन्सी को मान्य होगा।

9. फसल की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। फसल को आवारा पशुओं, जंगली जानवरों आदि से नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी तथा फसल को किसी नुकसान की अवस्था में

नकीब कृष्णा

ATTESTED 01.7.22 CENTRAL NOTARY BIKANER (Raj.) India

01 JUL 2022

केन्द्र के हिस्से की भरपाई के लिए एजेन्सी जिम्मेदार होगी। आवश्यकता पड़ने पर इसका निर्धारण केन्द्र निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा, जो कि एजेन्सी को मान्य होगा।

10. जहां पर फैंसिंग कमजोर है, उन जगहों पर बाड़/कांटे लगाकर आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षित करना फर्म की जिम्मेदारी होगी।

11. फर्म को फसल बुवाई फैंसिंग से 20 फीट छोड़कर करनी होगी। जिससे सुरक्षा के लिए गश्त करने में आसानी रहेगी।

12. अनुबंध कार्य के दौरान किसी प्रकार की श्रमिक दुर्घटना व अन्य दुर्घटना होने पर एजेन्सी अथवा उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी प्रकार की कार्यवाही उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता या सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

13. अनुबंध के अंतर्गत फर्म द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा नियत देय पारिश्रमिक व अन्य श्रमिक नियमों की अनुपालना संबंधित एजेन्सी को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। केन्द्र की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।

14. हिस्सा पद्धति के अंतर्गत इस खेती अनुबंध में संबंधित ठेकेदार/फर्म को यदि कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा व केन्द्र किसी प्रकार से भरपाई नहीं करेगा।

15. अनुबंध के अंतर्गत उपरोक्त इंगित कार्य संतोषजनक ढंग से तथा समय पर पूर्ण कराने का पूर्ण दायित्व फर्म का होगा तथा कार्य असंतोषजनक या अधूरा रहने पर अनुबंध निरस्त करने, धरोहर राशि जब्त करने सहित अन्य कार्यवाही हेतु केन्द्र स्वतंत्र होगा।

16. सक्षम अधिकारी के पास फसल का क्षेत्रफल कम या अधिक करने, ठेके की अवधि घटाने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

17. किसी प्रकार के विवाद पर आरबीट्रैटर केन्द्र के द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा आरबीट्रैटर द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18. ठेका किसी भी समय अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार केन्द्र निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के पास सुरक्षित रहेगा।

19. अनुबंध के अन्तर्गत उपरोक्त इंगित कार्य संतोषजनक ढंग से तथा समय पर पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व ऐजेन्सी का होगा तथा कार्य असंतोषजनक या अधूरा रहने पर अनुबंध निरस्त करने, धरोहर राशि (रूपये 10,000.00) जब्त करने करने सहित अन्य कार्यवाही हेतु केन्द्र स्वतंत्र होगा।

21. सक्षम अधिकारी के पास फसल का क्षेत्रफल कम या अधिक, इसका सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

22. अनुबन्ध के अन्य नियम एवं शर्तें केन्द्र के निविदा प्रपत्र एवं एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 22.06.2022 अनुसार होगी।

कृष्णा
9694119717
हस्ताक्षर एजेन्सी मय मोहर
कृष्णा देवी w/o कृष्ण कुमार

नवीन

उक्त हस्ताक्षर निम्नलिखित के समक्ष किए गए :

1. mob. no. 9694119717

2. .....

हस्ताक्षर
निदेशक, रा.उ.अ.के., बीकानेर
निदेशक
राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र
जोड़बीड़, बीकानेर
01/07/22

AttESTED
01.7.22
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.) India

01 JUL 2022